

निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना के अन्तर्गत दावों के लिए निर्धारित
फार्म/प्रपत्र/प्रोफार्मा

क्र. सं.	प्रयोजन	फार्म संख्या
1.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2015 के अन्तर्गत इकाईयों के पंजीकरण हेतु आवेदन फार्म।	(1)
2.	पंजीकरण प्रमाण-पत्र।	(2)
3.	जांच सूची (पंजीकरण हेतु आवेदन फार्म के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों की प्रमाणित/सत्यापित प्रतिलिपियाँ)।	(3)
4.	निवेश प्रोत्साहन सहायता हेतु दावा आवेदन फार्म।	(4)
5.	संयंत्र एवं मशीनरी पर निवेश सम्बन्धी वितरण।	(5)
6.	जांच सूची (पूँजी निवेश राज सहायता का दावा करने के लिए आवेदन फार्म के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की प्रमाणित/सत्यापित प्रतिलिपियाँ)।	(6)
7.	निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना-2015 के तहत राज सहायता के दावों पर विचार के लिए आयोजित एसएलसी की बैठक के कार्यवृत्त सहित भरा जाने वाला प्रोफार्मा (बैंक द्वारा वित्त पोषित इकाईयों के लिए)।	(7)
8.	निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना-2015 के तहत राज सहायता के दावों पर विचार के लिए आयोजित एसएलसी की बैठक के कार्यवृत्त सहित भरा जाने वाला प्रोफार्मा (स्व-वित्त वित्त पोषित इकाईयों के लिए)।	(8)
9.	एसएलसी/डीएलसी द्वारा निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना-2015 के तहत राज सहायता के लिए पात्र मानी गई संयंत्र एवं मशीनरी की मदों/संघटकों की विस्तृत सूची।	(9)
10.	पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेंट से प्रमाण-पत्र।	(10)

11.	शपथ पत्र।	(11)
12.	वित्तीय संस्था/बैंक से प्रमाण—पत्र।	(12)
13.	निवेश प्रोत्साहन सहायता हेतु जिला उद्योग केन्द्र की जांच रिपोर्ट।	(13)
14.	वित्त के श्रोतों के सम्बन्ध में चार्टर्ड एकाउन्टेंट का प्रमाण—पत्र।	(14)
15.	सेवा क्षेत्र के लिए सिविल विनिर्माण हेतु पंजीकृत वास्तुशिल्पी से प्रमाण—पत्र (नई इकाई के लिए)।	(15)
16.	निवेश प्रोत्साहन सहायता के लिए एसएलसी/डीएलसी हेतु कार्यसूची टिप्पण का प्रपत्र।	(16)
17.	राज सहायता के संवितरण हेतु एसएलसी/डीएलसी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रोफार्मा।	(17)
18.	करार प्रोफार्मा (Agreement)।	(18)
19.	इकाई द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (एपीआर)।	(19)
20.	पैकेज के कार्यान्वयन की समय—सीमा।	(20)

फार्म संख्या: 01

निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना-2015 के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन फार्म (तीन प्रतियों में भेजा जाना है)

1. क औद्योगिक इकाई का नाम व स्थान
 - (i) गांव/पुलिस स्टेशन
 - (ii) जिला
- ख दूरभाष संख्या सहित पूरा पता
 - (i) दूरभाष सं. सहित फैकट्री
 - (ii) दूरभाष सं. सहित पंजीकृत कार्यालय
2. क इकाई का गठन (कृपया स्पष्ट करें कि क्या मालिकाना/साझेदारी/प्राईवेट लिमिटेड/लिमिटेड कम्पनी/सहकारी समिति है)
 - ख मालिकों/साझेदारों/निदेशक मण्डल के निदेशकों/सहकारी समिति के सचिव और अध्यक्ष के नाम (यदि आवश्यकता हो तो अलग से पृष्ठ संलग्न करें।)
3. इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की प्रस्तावित तिथि
4. औद्योगिक इकाई विनिर्माण क्षेत्र के तहत आती है अथवा सेवा क्षेत्र के तहत
5. सम्बन्धित विभाग में पंजीकरण का ब्यौरा
- क यदि विनिर्माण क्षेत्र है, तो कृपया निम्नलिखित को दर्शायें
 - i एमएसएमई की पावती सं./उद्यमी ज्ञापन (ईएम) की तिथि भाग-1 (यदि काई हो)
 - ii औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की पावती सं./औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) की तिथि (यदि कोई हो)
 - iii केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण को विधिवत प्राप्त स्वीकार गई पत्र की प्रति
- ख यदि सेवा क्षेत्र है तो कृपया सम्बन्धित विभाग से अपेक्षित पंजीकरण/लाइसेंस सं. (यदि कोई हो) बताएं
6. प्रस्तावित अचल पूँजी निवेश का विवरण/ब्यौरा (राशि ₹ में)
- क भूमि

- ख स्थल विकास
 ग भवन
 (i) फैक्ट्री भवन
 (ii) कार्यालय भवन
 घ संयंत्र एवं मशीनरी / मदें / संघटक
 ड इलैक्ट्रिकल संस्थापन
 च प्रारम्भिक एवं प्रचालन पूर्व खर्च
 छ विविध अचल परिसम्पत्तियां
 कुल
 7. विद्युत / बिजली की प्रस्तावित आवश्यकता (किलो
 वाट / मैग्ना वाट)
 8. प्रस्तावित वार्षिक उत्पादन क्षमता—मात्रा—रूपये में मूल्य
 उत्पाद (उत्पादों) / दी गई सेवा का नाम
 (i)
 (ii) ..आदि
 9. कच्चा माल
 इस्तेमाल किये गये कच्चे माल का नाम
 (i)
 (ii)
 10. इकाई में विभिन्न कार्य क्षेत्रों में प्रस्तावित रोजगार
 सृजन
 क प्रबन्धकीय
 ख पर्यवेक्षी स्टाफ
 ग कुशल कामगार
 घ अर्ध कुशल कामगार
 ड अकुशल कामगार
 च अन्य
 11. घोषणा
 मैं/हम.....सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं/करती
 हूं/करते हैं कि इस आवेदन में दी गई सूचना मेरी/हमारी अधिकतम
 जानकारी और विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है।

स्थान:

तिथि:

हस्ताक्षर
 आवेदक / प्राधिकृत हस्ताक्षरी का
 पूरा नाम (मोहर)

जांच रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से दिनांक
.....को मैसर्स का दौरा किया तथा
पंजीकरण हेतु इस आवेदन से सम्बन्धित मूल दस्तावेजों की जांच की है और उन्हें सही
पाया है।

इसके अलावा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उत्पादित मद निवेश
प्रोत्साहन सहायता योजना-2015 की अधिसूचना में परिभाषित निषेध सूची के अन्तर्गत
नहीं आती है।

निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना-2015 के तहत पंजीकरण प्रदान करने
के लिए संस्तुत।

तिथि:

स्थान:

जांच अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम

पंजीकरण प्रमाण-पत्र (प्रपत्र संख्या-2)
केवल जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) के कार्यालय के प्रयोग के लिए
मैसर्स के आवेदन की
अनुलग्नकों सहित जांच की गई है तथा इसे सही पाया गया है। उत्पादित उत्पाद एम.
एस.एम.ई. नीति-2015 (यथा संशोधित-2016) में चिन्हित पात्र गतिविधियों में सम्मिलित
है।

निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना-2015 के तहत पंजीकरण प्रदान करने
हेतु संस्तुत।

तिथि:

स्थान:

सम्बन्धित अधिकारी के
हस्ताक्षर
पदनाम/कार्यालय मोहर

जांच सूची

(फार्म संख्या: 03)

निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना–2015 के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन फार्म के साथ नई इकाईयों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों की प्रमाणित / सत्यापित प्रतिलिपियां।

1. इकाई का गठन/प्रकार
 - (क) प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के मामले में
 - i कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण–पत्र
 - ii संस्था के अंतर्नियम अथवा बहिर्नियम
 - iii निदेशकों के नाम व पते, उनकी पैन संख्या सहित
 - (ख) साझेदारी फर्म के मामले में
 - i साझेदारी विलेख
 - ii साझेदारों के नाम व पते, उनकी पैन संख्या सहित
 - iii सामान्य पावर ऑफ अटर्नी
 - (ग) सहकारी समिति के मामले में
 - i पंजीकरण प्रमाण–पत्र
 - ii संस्था के अंतर्नियम अथवा बहिर्नियम
 - iii इकाई के पंजीकरण के लिए आम सभा की बैठक का संकल्प
2. पंजीकरण सं.
 - i ईएम भाग–1
 - ii भाग–2/आईएम/एलओआई/आईएल (यदि कोई हो)
3. स्थानीय निकाय/किसी अन्य प्राधिकरण (उदाहरण के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि) से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण–पत्र।
4. बैंक/सम्बन्धित वित्तीय संस्था से मीयादी ऋण/कार्यशील पूंजी ऋण, यदि कोई हो, का मंजूरी–पत्र।
5. सम्बन्धित विभाग से यथा लागू अनिवार्य/बाध्यकारी पंजीकरण/अनुमोदन प्रमाण–पत्र (सेवा क्षेत्र की इकाईयों के मामले में)।
6. भूमि/भवन के स्वामित्व प्रमाण–पत्र, खसरा खतौनी, विक्रय–पत्र विलेख, किरायानामा/लीज–डीड की प्रति तथा भू–उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रति (यदि भूमि/भवन पहले से अर्जित हो)।
7. भवन निर्माण मानचित्र की स्वीकृति/अनुमोदन पत्र की प्रति।
8. राज्य सरकार/उद्योग निदेशालय के निदेशानुसार अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज।

फार्म संख्या: 04

निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना-2015 का दावा करने से सम्बन्धित आवेदन फार्म

भाग-1: विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र दावों के लिए समान रूप से लागू

1. क. औद्योगिक इकाई का नाम। :
ख. दूरभाष संख्या (यदि कोई हो) सहित फैक्ट्री :
का पता।
ग. दूरभाष/मोबाइल संख्या (यदि कोई हो) :
सहित कार्यालय का पता।
घ. पंजीकृत कार्यालय। :
2. क. इकाई का गठन (मालिकाना/ साझेदारी/ :
प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड कम्पनी/सहकारी
समिति)।
ख. मालिकों/साझेदारों/सहकारी समिति के :
निदेशक/सचिव तथा अध्यक्ष के नाम व पते।
3. क्या नई इकाई अथवा मौजूदा इकाई का विस्तार :
हो रहा है
क. नई इकाई के मामले में :
i. वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन के शुरू :
होने की तारीख।
4. पंजीकरण का ब्यौरा :
क. नई इकाई के मामले में :
i. ईएम भाग-2 संख्या तथा तारीख। :
ii. आईईएम संख्या व तारीख। :
ग. सम्बन्धित विभाग से (सेवा क्षेत्र इकाईयों के :
मामले में जैसा लागू हो, अनिवार्य/
बाध्यकारी पंजीकरण/अनुमोदन प्रमाण-पत्र)।
5. निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना-2015 के अन्तर्गत :
पंजीकरण संख्या (फार्म संख्या: 1ए/1बी)
6. अचल पूंजी निवेश :
:

विवरण	नई इकाई के लिए
क. भूमि	
ख. स्थल विकास	

ग. भवन				
i. कार्यालय भवन				
ii. फैक्ट्री भवन				
घ. संयंत्र तथा मशीनरी /संघटक /मद				
ड. विद्युत अधिष्ठापन				
च. प्राथमिक /प्रचालनपूर्व खर्च				
छ. विविध अचल परिसम्पत्तियां				
कुल				
7. क वित्त स्रोत	:			
i. प्रवर्तकों का अंशदान	:			
ii. इकिवटी	:			
iii. मीयादी ऋण	:			
iv. गैर-जमानती ऋण	:			
v. आंतरिक संसाधन	:			
vi. कोई अन्य स्रोत (कृपया उल्लेख करें)	:			
कुल				
7. ख मंजूर अवधि/ कार्यशील पूंजी ऋण (यदि कोई हो तो) का व्यौरा	:			
बैंक/वित्तीय संस्था का नाम	मंजूर मीयादी/ कार्यशील पूंजी/ऋण की राशि	मंजूरी पत्र संख्या व तारीख	संवितरित मीयादी/ कार्यशील पूंजी ऋण की राशि	
7. ग इकिवटी का व्यौरा (यदि कोई हो)	:			
नाम	राशि	पैन सं.	भुगतान का तरीका	
7. घ गैर-जमानती ऋण का व्यौरा (यदि कोई हो तो)	:			
नाम	राशि	पैन सं.	भुगतान का तरीका	

8. विद्युत

क. नई इकाई के मामले में

- (i) मंजूर लोड :
- (ii) जुड़ा हुआ लोड :
- (iii) आन्तरिक विद्युत संयंत्र (यदि कोई हो) :
की क्षमता

8. भूमि और भवन का व्यौरा :
- क. भूमि :
- (क) स्वयं की भूमि :
 - (i) भूमि क्षेत्र, राजस्व गांव, डाग संख्या व पट्टा संख्या :
 - (ii) क्रय की तारीख :
 - (iii) पंजीकरण की तारीख : - (ख) सरकार/सरकारी एजेंसी द्वारा आवंटित भूमि :
 - (i) आवंटन/करार की तारीख :
 - (ii) कब्जा लेने की तारीख : - (ग) पट्टे पर ली गई भूमि :
 - (i) भूमि के पट्टे पर लेने की तारीख :
 - (ii) पट्टा—अवधि :

ख. भवन :

(क) स्वयं का भवन/किराये का भवन स्वयं के भवन के मामले में निर्मित क्षेत्र :

10. संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश का विवरण। :

भाग–2: केवल विनिर्माण क्षेत्र के लिए
 (लागू नहीं होने पर कृपया इस भाग को काट दें)

11. इकाई के उत्पादन का ब्यौरा

क. नई इकाई के लिए

क्र. सं.	उत्पाद (उत्पादों) का नाम	वार्षिक संस्थापित क्षमता		गत वर्ष के दौरान वास्तविक उत्पादन/वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से आज की तारीख तक (यदि कोई हो)		टिप्पणियां
		मात्रा	मूल्य (₹ में)	मात्रा	मूल्य (₹ में)	

12. कच्चा माल

क. नई इकाई के लिए

क्र. सं.	कच्चे माल का नाम	वार्षिक जरूरत	
		मात्रा	मूल्य (₹ में)

13. तैयार उत्पाद (उत्पादों) की बिक्री

क. नई इकाई के लिए

क्र. सं.	उत्पाद (उत्पादों) का नाम	गत वर्ष के दौरान/वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से बेचा गया उत्पाद		टिप्पणियां
		मात्रा	मूल्य (₹ में)	

14. रोजगार सृजन

क्र.सं.	श्रेणी	नई इकाई के लिए
1	2	3
i.	प्रबन्धकीय	
ii.	पर्यवेक्षी स्टाफ	

iii.	कुशल कामगार	
iv.	अर्ध कुशल कामगार	
v.	अकुशल कामगार	
vi.	अन्य	
	कुल	

भाग-III: केवल सेवा क्षेत्र के लिए

(लागू नहीं होने पर कृपया इस भाग को काट दें)

15.	विवरण	नई इकाई
क	दो सितारा श्रेणी से कम का होटल नहीं।	
(i)	होटल का स्थान	
(ii)	होटल की श्रेणी (कृपया प्रमाण-पत्र संलग्न करें)	
(iii)	वर्ग मीटर क्षेत्र	
(iv)	भवन की कुल लागत (₹ में)	
(v)	अत्यावश्यक मदों की कुल लागत (सूची संलग्न करनी है) (₹ में)	
(vi)	कमरों की संख्या तथा प्रत्येक किरम के कमरे का वर्ग फीट में क्षेत्र	
(vii)	उपलब्ध करायी गई सुविधाएं/सुख-सुविधाएं (यदि आवश्यक हो, तो कृपया अलग से कागज लगा दें)	
(viii)	क्या सम्बन्धित विभाग/एजेंसी द्वारा निर्धारित मानक/मानदण्ड पूरे किए गए हैं।	
ख	रज्जु मार्ग सहित साहसिक खेल और फरसत में खेते जाने वाले खेल	
(i)	रज्जु मार्ग लगाए जाने का स्थान	
(ii)	प्रथम बिन्दु से अन्तिम बिन्दु तक कुल दूरी (केवल रज्जु मार्ग के लिए लागू)	
(iii)	क्या इस्तेमाल किए गए/इस्तेमाल के लिए प्रस्तावित उपस्कर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैं?	
(iv)	रज्जु मार्ग लगाए जाने के लिए नियुक्त/नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित परामर्शदाता का नाम व पता	
(v)	क्या परामर्शदाता के पास रज्जु मार्ग लगाने का व्यापक अनुभव हैं। यदि हाँ, तो कम से कम दो जगहों का घौरा दें।	
(vi)	सिविल निर्माण कार्य की कुल लागत (₹ में)	
(vii)	लगाए गए/लगाए जाने वाले आवश्यक मदों की कुल लागत (कृपया अलग कागज लगा दें) (₹ में)	
ग	सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सेवायें	
(i)	इस्तेमाल के लिए प्रस्तावित अथवा इस्तेमाल किये जा रहे उपस्कर (equipment)	
(ii)	सहायक उपस्कर, फर्नीचर, केबिन निर्माण व इन्टरनेट संयोजन	
(iii)	उपस्करों एवं सहायक उपकरणों/स्थिर सम्पत्ति की कुल लागत	

16.	इकाई में रोजगार की स्थिति	
क्र. सं.	श्रेणी	नई इकाई के लिए
1	2	
(i)	प्रबन्धकीय	
(ii)	पर्यवेक्षी	
(iii)	कुशल	
(iv)	अर्धकुशल	
(v)	अकुशल	
(vi)	अन्य	
	कुल	

भाग-IV

17. बैंक खाता संख्या तथा उस बैंक का नाम.....
जिसमें राज सहायता राशि जमा करानी है।

18. मैं/हम.....घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त व्यौरा/विवरण मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं तथा इस दावे के सम्बन्ध में दिया गया कोई विवरण यदि गलत अथवा झूठा पाया जाता है, तो सरकार द्वारा प्रदान की गई राज सहायता मेरे/हमारे द्वारा सरकार को लौटा दी जाएगी।

स्थानः

तारीखः

आवेदक/आवेदकों के
हस्ताक्षर/इकाई के सम्बन्ध में
स्थिति

इकाईः

मोहरः

फार्म संख्या: 05

संयंत्र एवं मशीनरी पर निवेश का विवरण

1	प्रत्येक माल-प्रेषण आदि द्वारा शामिल किए गए संयंत्र एवं मशीनरी का नाम।
2	जिससे खरीद की गई अथवा क्रयादेश दिए गए उस फर्म का नाम व पता।
3	<p>क क्रयादेश देने तथा स्वीकृत करने के सम्बन्ध में फर्म का आदेश क्रमांक एवं भुगतान की गई तथा प्राप्त की गई अग्रिम राशि की तारीख।</p> <p>ख मशीनरी प्रेषण की तारीख।</p> <p>i. जिस स्टेशन से आयी।</p> <p>ii. जिस स्टेशन पर पहुंची।</p> <p>iii. परिवहन का तरीका।</p> <p>iv. प्रेषण दस्तावेज का ब्यौरा।</p>
4	फैक्ट्री स्थल पर मशीनरी पहुंचने की तारीख।
5	<p>क आपूर्तिकर्ता की बिल संख्या व तारीख।</p> <p>ख करों आदि तथा अग्रिम राशि (यदि कोई हो तो) सहित बिलों के अनुसार मशीनरी की कुल लागत।</p> <p>ग मशीनरी आपूर्तिकर्ता को भुगतान का ब्यौरा।</p> <p>(i) भुगतान का तारीख।</p> <p>(ii) भुगतान का तरीका (चैक / बैंक ड्राफ्ट सं. व तारीख)।</p> <p>(iii) रसीद संख्या व तारीख।</p>
6	<p>क उस वाहक का नाम व पूरा पता जिसके माध्यम से आपूर्तिकर्ता द्वारा मशीनरी प्रेषित की गई थी।</p> <p>ख मशीनरी ढुलाई का भाड़ा।</p> <p>ग मशीनरी वाहक से भाड़े की रसीद।</p> <p>घ भुगतान किए गए विलम्ब-शुल्क (यदि हो तो) विलम्ब-शुल्क के भुगतान के कारणों का उल्लेख किया जाए।</p>
7	<p>क परिवहन में जोखिम को कवर करने हेतु प्रेषण का बीमा करने वाली बीमा कम्पनी का नाम व पता।</p> <p>ख बीमित राशि।</p> <p>ग भुगतान किया गया बीमा प्रीमियम (यदि कोई हो)।</p>
8	मशीनरी, भाड़ा, विलम्ब-शुल्क तथा बीमा के लिए लागत के लिए भुगतान की गई कुल राशि।
9	वित्त के श्रोत (कृपया उल्लेख करें)।
10	फैक्ट्री स्थल पर मशीनरी स्थापित करने की तारीख।
11	मशीनरी चालू होने की तारीख।

इकाई की तरफ से हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने मूल बिलों तथा वाउचरों के साथ उपर्युक्त व्यौरे की व्यक्तिगत् रूप से जांच की है तथा उनको सभी तरह से ठीक पाया है तथा फार्म संख्या: १सी(ए) में उल्लिखित मशीनरी को मैसर्स.....
.....की फैक्ट्री में प्रचालन हेतु पहले ही स्थापित कर दिया गया है/स्थापित करने का प्रस्ताव है।

तारीखः

प्रति हस्ताक्षरितः

जांच अधिकारी के हस्ताक्षर और
मोहर
महाप्रबन्धक, डीआईसी

फार्म संख्या: 07

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के तहत निवेश प्रोत्साहन सहायता दावों पर
विचार करने के लिए आयोजित एसएलसी/डीएलसी की बैठक के कार्यवृत्त सहित
भरकर राज्य सरकार को अग्रेषित किए जाने वाला प्रपत्र

(वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित इकाईयों के लिए) (₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	वित्त पोषक एजेंसी (यों) का नाम	वित्त पोषक एजेंसी (यों) द्वारा मूल्यांकित लागत		जी.एम., जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सिफारिश किए गए संयंत्र एवं मशीनरी की पात्र लागत		एसएलसी द्वारा सिफारिश की गई ¹ संयंत्र एवं मशीनरी की पात्र लागत
			संयंत्र एवं मशीनरी की लागत	कुल परियोजना लागत			

फार्म:

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के तहत निवेश प्रोत्साहन सहायता दावों पर
विचार करने के लिए आयोजित एसएलसी/डीएलसी की बैठक के कार्यवृत्त सहित
भरकर राज्य सरकार को अग्रेषित किए जाने वाला प्रपत्र

(स्वतः वित्त पोषित इकाईयों के लिए)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	स्वतः वित्त पोषित दावों के मूल्यांकन के लिए राज्य सरकार के द्वारा नामित की गई एजेंसी द्वारा मूल्यांकित लागत		जी.एम., जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सिफारिश किए गए संयंत्र एवं मशीनरी की पात्र लागत		एसएलसी द्वारा सिफारिश की गई ¹ संयंत्र एवं मशीनरी की पात्र लागत
		संयंत्र एवं मशीनरी की लागत	कुल परियोजना लागत			

फार्म संख्या: 08

(दिनांक..... को आयोजित एसएलसी बैठक के कार्यवृत्त का अनुबन्ध.....)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2015 के तहत निवेश प्रोत्साहन सहायता के लिए पात्र समझे गए संयंत्र एवं मशीनरी की मदों/संघटकों की विस्तृत सूची

इकाई का नाम—

विस्तार वाली इकाई/मौजूदा इकाई का नाम—

क्र. सं.	परियोजना को सहायता दे रही वित्तीय संस्थान/स्वतंत्र एजेंसी (स्व: वित्त पोषित परियोजना के मामले में) द्वारा यथा मूल्यांकित		एसएलसी/डीएलसी द्वारा निवेश प्रोत्साहन सहायता-2015 के तहत राज सहायता के लिए पात्र समझे गए अनुसार		
	संयंत्र एवं मशीनरी की मदें/संघटक	लागत (₹ लाख में)	संयंत्र एवं मशीनरी की मद/संघटक	लागत (₹ लाख में)	वित्तीय संस्था की मूल्यांकन रिपोर्ट से अन्तर (यदि कोई हो) के कारण
	कुल				

फार्म संख्या: 06

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2015 के तहत निवेश प्रोत्साहन सहायता दावों के लिए आवेदन फार्म सहित प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रमाणित/सत्यापित प्रतियां

1. इकाई का गठन

(क) प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के मामले में

- i कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
- ii संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम।
- iii निदेशकों के नाम एवं पता उनकी पैन सं. सहित।

(ख) साझेदारी वाली इकाई के मामले में

- i साझेदारी विलेख।
- ii सामान्य मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी)।
- iii साझेदारों का नाम एवं पता उनकी पैन सं. सहित।

(ग) सहकारी समिति के मामले में

- i सहकारी समिति के संयुक्त पंजीयक से पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
- ii संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम।
- iii इकाई के पंजीकरण के लिए आम सभा का संकल्प।

2. पंजीकरण

क. प्रस्तावित/नई इकाई के मामले में।

उद्यमी ज्ञापन भाग-1 एवं भाग-2/आईईएम/एलओआई/आईएल
(जहां लागू हो)।

ii विस्तार करने वाली मौजूदा इकाई के मामले में।

पीएमटी पंजीकरण/उद्यमी ज्ञापन
भाग-2/आईईएम/एलओआई/आईएल (जहां लागू हो)।

3. भूमि एवं भवन

क. स्वयं की भूमि के मामले में

- i खरीद विलेख/उपहार विलेख/स्वामित्व साबित करने वाला अन्य कोई दस्तावेज।
- ii अद्यतन नॉन-इन्कम्बेंट सर्टिफिकेट।
- iii जमाबन्दी प्रति एवं ट्रेस मैप।

ख. किसी सरकारी एजेन्सी द्वारा आवंटित औद्योगिक भूमि के मामले में

- i करार विलेख।
- ii अद्यतन किराया भुगतान रसीद।

ग. किसी सरकारी एजेन्सी द्वारा आवंटित औद्योगिक शेड के मामले में

- i करार विलेख।
- ii अद्यतन किराया भुगतान रसीद।

- घ. किसी सरकारी एजेन्सी द्वारा आवंटित औद्योगिक शेड के मामले में पट्टा विलेख करार।
- ड. सरकारी भूमि/सरकार द्वारा आवंटित प्लाट के मामले में
i. आवंटन पत्र।
ii. प्रीमियम भुगतान रसीद।
4. फार्म संख्या: 1सी(ए) के अनुसार संयंत्र एवं मशीनरी का विवरण।
5. सभी बिलों, वाउचरों एवं संयंत्र एवं मशीनरी का विवरण।
6. फार्म संख्या: 1सी बी (i)/फार्म संख्या: 1सी बी (ii) के अनुसार चार्टर्ड एकाउन्टेंट से अचल पूंजी निवेश का प्रमाण—पत्र।
7. फार्म संख्या: 1सी (डी) द्वारा संवितरण से सम्बन्धित वित्तीय संस्था/बैंक से प्रमाण—पत्र।
8. मियादी ऋण एवं कार्यशील पूंजी के लिए वित्तीय संस्था/बैंक से मंजूरी पत्र।
9. फार्म संख्या: 1सी (एफ) के अनुसार वित्त स्रोत के सम्बन्ध में चार्टर्ड एकाउन्टेंट से प्रमाण—पत्र।
10. फार्म संख्या: 1सी (जी) (i)/फार्म संख्या: 1सी (जी) (ii) सिविल निर्माण सम्बन्धी पंजीकृत वास्तुकार से प्रमाण—पत्र।
11. परियोजना रिपोर्ट।
12. राज्य विद्युत बोर्ड/सक्षम प्राधिकरण/सक्षम विभाग से विद्युत मंजूरी पत्र एवं प्रथम बिल।
13. स्थानीय निकाय/प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण—पत्र।
14. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण—पत्र/सहमति।
15. कच्चे माल की खरीद का प्रथम बिल (बिलों)/धन प्राप्ति रसीद।
16. तैयार उत्पाद (उत्पादों) की प्रथम बिक्री/दी गई सेवा के लिए चालान।
17. फार्म संख्या: 1सी (सी) के अनुसार शपथ—पत्र।
18. कर्मचारियों की सूची, नाम, पता एवं पदनाम के साथ।
19. पिछले तीन लेखा वर्षों (विस्तार करने वाली मौजूदा इकाईयों के मामले में) के लिए तुलन—पत्र।
20. चाय फैक्ट्री के मामले में चाय बोर्ड पंजीकरण।
21. निवेश प्रोत्साहन सहायता—2015 के तहत थजला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण—पत्र।
22. निदेशकों/मालिकों/साझीदार का पैन कार्ड।
23. बिक्री कर/वैट, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंजूरी प्रमाण—पत्र।
24. सम्बन्धित विभाग (सेवा क्षेत्र की इकाईयों के मामले में) से यथा लागू कार्य/प्रचालन की शुरुआत की तारीख को दर्शाते हुए इकाई के कार्यात्मक/प्रचालात्मक होने का प्रमाण—पत्र।

- 25.** परियोजना की लागत (स्व: वित्त पोषित इकाईयों के मामले में) के ब्यौरे की जांच सम्बन्धी रिपोर्ट।
- 26.** कोई अन्य दस्तावेज जो राज्य सरकार/उद्योग निदेशालय के निदेश के अनुसार अपेक्षित हो।

फार्म संख्या: 10

पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेंट से प्रमाण-पत्र (नई इकाई के लिए)

चार्टर्ड एकाउन्टेंट का नाम:

मैं/हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि मैसर्स.....
(स्थान सहित इकाई का नाम) नेसे.....तक की
अवधि के लिए इकाई द्वारा.....विनिर्माण/दी गई सेवा के
लिए अपनी इकाई में पूंजी निवेश किया है।

क्र. सं.	अचल परिस्थितियां निवेश की मद/मदें	मूल्य ₹ में
1.	खरीद, मूल्य, पंजीकरण आदि सहित भूमि की लागत	
2.	चारदीवारी, पहुंच-सङ्क, पुलिया/पुल, गोदाम, श्रमिकों के लिए निवास स्थान आदि (कृपया उल्लेख करें) सहित भूमि के विकास की लागत	
3.	भवन की लागत	
	क. फैक्ट्री भवन/नर्सिंग होम/होटल आदि ख. कार्यालय भवन ग. वास्तुकार शुल्क/प्राक्कलन आदि को तैयार करने के लिए शुल्क	
4.	संयंत्र एवं मशीनरी की लागत	
5.	सहायक सामग्री	
6.	बिजली लगाना	
7.	चढ़ाने, उतारने, परिवहन, निर्माण खर्च, बीमा आदि	
8.	प्रचालन पूर्व प्रारम्भिक व्यय को पूंजीकृत किया जाना	
9.	विविध अचल परिस्थितियां/अनिवार्य मदें आदि	
	कुल	

मैं/हमने इकाई के लेखा बहियों, बीजक आदि को जांच लिया है और प्रमाणित किया जाता है कि जांच की गई एवं प्रमाणित की गई उक्त सूचना सही है। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि उक्त मदों के लिए पूरा भुगतान कर दिया गया है और इकाई की बहियों में इनके लिए कोई ऋण नहीं लिया गया है।

दिनांक:

स्थान:

चार्टर्ड एकाउन्टेंट के हस्ताक्षर
पंजीकरण संख्या एवं मोहर

फार्म संख्या: 11

शपथ-पत्र

मैं श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी..... श्री...
.....आयु.....वर्ष.....व्यवसाय.....

सत्यनिष्ठा से घोषणा एवं पुष्टि करता/करती हूँ:-

1. मैं भारत का नागरिक हूँ और मैं जिला.....में ग्राम.....पोस्ट.....थाना.....का स्थायी निवासी हूँ।
2. मैं मैसर्स.....का मालिक/प्रबन्धक साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक/अध्यक्ष हूँ और उक्त इकाई की भूमि/भवन/संयंत्र एवं मशीनरी का मालिक हूँ जिनका औद्योगिक क्रियाकलाप.....है।
3. हिमाचल प्रदेश/उत्तराखण्ड के लिए निवेश प्रोत्साहन सहायता-2015 के तहत राज सहायता के लिए दावा आवेदन में प्रस्तुत किए गए ब्यौरे वास्तव में उसी तरह के हैं जो जिला.....में स्थित मैसर्स.....के रूप में जानी जाती इकाई के सम्बन्ध में आयकर प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए हैं। आवेदन फार्म में उल्लिखित मदों के लिए मैंने केन्द्र/राज्य सरकार/संगठन के तहत कोई राज सहायता/अनुदान नहीं प्राप्त किया है।
4. आवेदन फार्म और/अथवा राज सहायता के लिए आवेदन के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए ब्यौरे मेरी सर्वाधिक जानकारी के अनुसार सही एवं सत्य हैं और यदि किसी मामले में कोई ब्यौरा झूठा पाया जाता है अथवा अनिवार्य तथ्यों की गलतबयानी/छिपाया जाता है, तो मैं भूमि कानूनों के तहत दण्ड का भागीदार होऊंगा।
5. मैं श्री/श्रीमती.....उपर्युक्त का अभिसाक्षी एतदद्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा एवं पुष्टि करता हूँ कि ऊपर दिया गया विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है।

मेरे द्वारा पहचान की गई:

हस्ताक्षर

(वकील)

हस्ताक्षर

अभिसाक्षी

मैं सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करता हूँ कि श्री/श्रीमती.....की.....
.....तारीख को वकील श्री/श्रीमती.....द्वारा पहचान की गई है।

मजिस्ट्रेट
मोहर

फार्म संख्या: 12

वित्तीय संस्था/बैंक का प्रमाण-पत्र

(प्रमाण-पत्र बैंक/वित्तीय संस्था के एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए)

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स.....	को
दिनांक..... के पत्र सं..... के तहत मंजूर.....	
.रूपए की राशि इस तारीख तक संवितरित कर दी गई है, जो नीचे दी गई है:	
1. तक पूर्व में संवितरित की गई ऋण राशि	₹
2. नीचे दी गई मदों के लिए आज की तारीख तक संवितरित की गई	
कुल राशि:	
i. भूमि	₹
ii. भवन (आवासीय मकान को छोड़कर)	₹
iii. संयंत्र एवं मशीनरी	₹
iv. अन्य परिसम्पत्तियां: उपकरण, जिग्स, डाईज एवं मॉल्ड्स तथा गुड्स कैरियर	₹
v. अन्य अनिवार्य मदें	₹
कुल ₹	

बैंक/वित्तीय संस्था के अधिकारी के हस्ताक्षर
मोहर एवं तारीख

फार्म संख्या: 13

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के तहत निवेश प्रोत्साहन सहायता के लिए जांच रिपोर्ट

- 1 क. जांच अधिकारी का नाम एवं पदनाम
ख. आवेदन की प्राप्ति की तारीख
ग. इकाई का प्रत्यक्ष सत्यापन
- 2 क. इकाई का नाम
ख. दूरभाष सं. सहित फैक्ट्री का पता (यदि कोई हो)
ग. दूरभाष/मोबाइल सं. (यदि कोई हो) सहित कार्यालय का पता
घ. पंजीकृत मुख्यालय (यदि उपर्युक्त से ख अलग है तो)
- 3 क. इकाई का गठन (कृपया स्पष्ट करें कि क्या स्वामित्व/साझेदार/प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड कम्पनी/सहकारी समिति है)
ख. मालिक/साझेदार/शासी बोर्ड के निदेशकों/सहकारी समिति के सचिव एवं अध्यक्ष के नाम, पते
ग. कम्पनी अधिनियम के तहत साझेदार फर्म/सहकारी समिति के रूप में पंजीकरण की तारीख एवं संख्या
घ. कम्पनी का पंजीकृत मुख्यालय (क्या प्रा. अथवा लि. कम्पनियों पर ध्यान दिए बिना कम्पनी अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं)
- 4 क. उद्यम पंजीकरण
 - i उद्यमी ज्ञापन की पावती (ई.एम.) भाग–1 सं. एवं तारीख
 - ii उद्यमी ज्ञापन की पावती (ई.एम.) भाग–2 सं. एवं तारीख
 - iii औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) की पावती सं. एवं तारीख
 - iv मौजूदा इकाई के मामले में स्थायी

- पंजीकरण संख्या
- v चाय बोर्ड पंजीकरण (यदि लागू हो)
- vi फैक्ट्री पंजीकरण
- vii सम्बन्धित विभाग (सेवा क्षेत्र इकाईयों के मामले में) से इकाई के कार्यात्मक / प्रचालात्मक हो जाने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
- 5 सीसीआईएसएस, 2013 के तहत पंजीकरण की सं. एवं तारीख
- 6 क्या प्रस्तावित इकाई नई है अथवा विस्तार करने वाली एक मौजूदा इकाई
- क. नई इकाई के मामले में
- i उत्पादन/प्रचालन की प्रस्तावित तारीख
- ii वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तारीख
- ख. मौजूदा इकाई के मामले में
- i विस्तार से पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तारीख
- ii विस्तार के बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तारीख
- 7 इकाई की भूमि एवं भवन का व्यौरा
- क. भूमि
- i स्पष्ट करें कि क्या भूमि स्वयं की है/पट्टे पर है। सरकारी एजेंसी द्वारा आवंटित है।
- ii यदि भूमि स्वयं की है
- क. स्वामित्व का प्रकार स्पष्ट करें जैसे कि पैतृक, उपहार अथवा खरीदी गई आदि
- ख. कुल क्षेत्र
- ग. स्थान
- घ. डाग सं. पट्टा सं., राजस्व ग्राम एवं मौजा
- उ. मूल्य सहित भूमि की खरीद की तारीख तथा भूमि के कब्जा लेने की तारीख
- iii यदि भूमि पट्टे पर है
- क. भूमि मालिक का नाम एवं पता
- ख. करार की तारीख और उसका क्षेत्र
- ग. पट्टा करार की अवधि
- iv यदि भूमि सरकार/सरकारी एजेंसी द्वारा

- आवंटित है
- क. एजेन्सी का नाम
- ख. करार की तारीख
- ग. भुगतान किया गया वार्षिक किराया / प्रीमियम
- घ. कुल आवंटित क्षेत्र एवं उसका स्थान
- ख. भवन का ब्यौरा
- I क्या फैक्ट्री भवन का निर्माण किया गया है, यदि हां तो
- क. स्थानीय प्राधिकरण से निर्माण की अनुमति
- ख. सिविल एवं इलैक्ट्रीकल वर्क्स को शुरू करने तथा पूर्ण करने की तारीख
- ग. निर्माणाधीन कुल क्षेत्र
- घ. कुल अनुमानित लागत
- II यदि फैक्ट्री शेड सरकारी एजेंसी द्वारा आवंटित है
- क. एजेन्सी का नाम
- ख. फैक्ट्री शेड का कुल क्षेत्र और आवंटित खुला स्थान
- ग. शेड के लिए निर्धारित वार्षिक किराया
- घ. करार की तारीख तथा शेड के कब्जे की तारीख
- III क्या परिसर किराए पर है
- क. परिसर/परिसरों के मालिक का नाम एवं पता
- ख. कुल क्षेत्र एवं स्थान
- ग. करार की तारीख
- घ. किराया करार की अवधि
- ड. उसके लिए निर्धारित वार्षिक किराया
- 8 अचल पूंजी निवेश

विवरण

नई इकाई (वास्तविक निवेश ₹ में)

- क. भूमि
- ख. स्थल का विकास
- ग. भवन
- i. कार्यालय भवन
- ii. फैक्ट्री भवन

घ. संयंत्र तथा मशीनरी / संघटक / मद

ड. सहायक सामग्री

च. संस्थापन एवं विद्युतीकरण

छ. प्रारम्भिक एवं प्रचालन-पूर्व खर्च

छ. विविध अचल परिसम्पत्तियां

कुल

9 वित्त के साधन

- i. प्रवर्तकों का अंशदान
- ii. इकिवटी
- iii. वित्तीय संस्था से मियादी ऋण
- iv. गैर-जमानती ऋण
- v. आंतरिक संसाधन
- vi. कोई अन्य स्रोत, कृपया स्पष्ट करें

कुल

10 वित्तीय संस्था/बैंक से प्राप्त

वित्तीय सहायता

- क. बैंक का नाम
- ख. अचल पूंजी निवेश के लिए वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा मंजूर की गई राशि और मंजूरी की तिथि (नई इकाई)
- ग. काग्रशील पूंजी के लिए वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा मंजूर की गई राशि और मंजूरी की तिथि (नई इकाई)
- घ. वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र के अनुसार वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा संवितरित राशि (नई इकाई)
- ड. अचल पूंजी निवेश के लिए वित्तीय संस्था/ बैंक द्वारा मंजूरी की गई राशि और मंजूरी की तारीख (विस्तार इकाई)
- च. विस्तार के लिए वित्तीय संस्था/ बैंक द्वारा

- 11** विद्युत
क. नई इकाईयों के लिए विद्युत मंजूरी
(किलोवाट में) की तारीख और
मात्रा
- 12** उत्पादन की मद/मदें/दी गई
सेवा
- 13** प्रयुक्त प्रमुख कच्चा माल
- 14** कच्चे माल के स्रोत
- 15** क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से
अनापत्ति प्रमाण—पत्र/ सहमति
प्राप्त कर ली है
- 16** क्या स्थानीय निकाय से अनापत्ति
प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लिया है
- 17** क्या इकाई की कोई फ्रैन्चाइज है
अथवा किसी इकाई से विपणन
गठबंधन
- 18** इकाई में रोजगार स्थिति
- 19** किसी अन्य पैकेज के तहत प्राप्त
केन्द्रीय पूँजी राज सहायता की
राशि

जांच अधिकारी की टिप्पणियां

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने दावाकर्ता.....
(इकाई का नाम) द्वारा प्रस्तुत सभी ब्यौरों और इस दावे के साथ प्रस्तुत सभी
अनुलग्नक/संगत दस्तावेज की जांच कर ली है तथा ये सही पाए गए हैं एवं इन पर
कोई संदेह नहीं है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी दिनांक.....को इकाई का दौरा
किया है और इकाई से सम्बन्धित भूमि, भवन, संयंत्र एवं मशीनरी/संघटक/मदों की
जांच कर ली है जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ये
ब्यौरे राज सहायता के लिए दावा आवेदन में दिए गए ब्यौरे के समान हैं। मैंने भूमि, भवन,
संयंत्र एवं मशीनरी/संघटक/मद के लिए आवेदन में उल्लिखित मूल्यों की भी मूल
दस्तावेजों के साथ जांच कर ली है और उन्हें सही पाया है।

(क) निवेश प्रोत्साहन सहायता के लिए पात्र अचल पूँजी निवेश :

(ख) निवेश प्रोत्साहन सहायता के लिए सिफारिश की गई राशि :

हस्ताक्षर एवं मोहर

महाप्रबन्धक की टिप्पणियां

हस्ताक्षर एवं मोहर

फार्म संख्या: 14

वित्तीय स्रोतों के सम्बन्ध में चार्टर्ड एकाउन्टेंट से प्रमाण-पत्र

मैं/हम एतदद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि मैसर्स.....
.....(स्थान सहित इकाई का नाम) ने इकाई द्वारा विनिर्माण/दी गई सेवा के लिए,.....
.....से.....तक की अवधि के दौरान विस्तार के लिए उनकी प्रस्तावित/नई
इकाई/मौजूदा इकाई में.....₹ का निम्नलिखित अचल पूंजी निवेश किया
है। मैं/हमने इकाई की लेखा बहियों की जांच कर ली है और यह पाया है कि इकाई ने
निम्नलिखित स्रोतों से अचल पूंजी निवेश किया है:

- | | |
|--|----------|
| (क) प्रवर्तक अंशदान | ₹ |
| (ख) इकिवटी | ₹ |
| (ग) वित्तीय संरथा/बैंक से मियादी ऋण | ₹ |
| (घ) गैर-जमानती ऋण | ₹ |
| (ङ) आंतरिक संसाधन | ₹ |
| (च) कोई अन्य स्रोत (कृपया उल्लेख करें) | ₹ |
| कुल | ₹ |

तारीखः

स्थानः

चार्टर्ड एकाउन्टेंट के हस्ताक्षर
पंजीकरण सं. एवं मोहर

फार्म संख्या: 15

सिविल निर्माण सम्बन्धी पंजीकृत वास्तुकार से प्रमाण—पत्र

(विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र दोनों ही इकाईयों के लिए)

वास्तुकार का नाम:

मैं/हम एतदद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि मैसर्स.....
 (स्थान सहित इकाई का नाम) ने अपनी इकाई के लिए ₹ की
 अनुमानित लागत पर से तक की अवधि के लिए
 अपनी इकाई में सिविल निर्माण के लिए निवेश किया है। ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	अचल परिस्मृतियों की मद	₹ में निवेश मूल्य
1.	खरीद मूल्य, पंजीकरण आदि सहित भूमि की लागत	
2.	भूमि विकास की लागत	
3.	चारदीवारी, पुलिया/पुल, पुश्ता दीवार की लागत	
4.	जमीन भराव, ब्लैक टैपिंग (जो भी लागू हो) की लागत सहित पहुंच सड़क की लागत	
5.	इंटीरियर और विद्युतीकरण सहित मुख्य भवन के निर्माण की लागत	
6.	विद्युतीकरण की लागत	
7.	गोदाम, कामगारों के लिए आवास के निर्माण की लागत	
8.	वास्तुकार शुल्क/अनुमान आदि की तैयारी के लिए शुल्क की लागत	
9.	मिट्टी हटाने के उपकरणों को किराये पर लेने के लिए लागत	
10.	रंग रोगन, साज—सज्जा आदि के लिए लागत	
11.	श्रम भुगतान, परिवहन, सामान चढ़ाने—उतारने, संस्थापना आदि के लिए लागत	
12.	बांध, जलाशय के निर्माण के लिए लागत	
13.	बिजली घर के निर्माण के लिए लागत	
14.	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं हेतु इन्टरनेट संयोजन पर किया गया व्यय	
15.	उद्यम संचालन हेतु स्वयं के स्वामित्व/क्रय किये गये/लीज पर लिये गये भवन में अतिरिक्त निर्माण/परिवहन/रिनोवेशन पर किया गया पूंजी निवेश	

16.	कोई अन्य सिविल निर्माण, कृपया उल्लेख करें।	
	कुल	

मैं/हमने इकाई के खातों, बीजाकें/रजिस्टरों आदि को जांच लिया है और प्रमाणित किया जाता है कि जांच की गई एवं प्रमाणित की गई उक्त सूचना सही है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि उक्त सभी मदों के लिए पूरा भुगतान कर दिया गया है और इकाई की बहियों में इनके लिए कोई ऋण नहीं लिया गया है।

दिनांक:

स्थान:

वास्तुकार के हस्ताक्षर
मोहर एवं तारीख

फार्म संख्या: 16

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2015 के तहत वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत किए जाने वाले कार्य-सूची टिप्पणी के लिए प्रोफार्मा

1.	आवेदक इकाई का नाम और पता :	
2.	औद्योगिक इकाई का स्थान :	
3.	विनिर्माण/सेवा क्षेत्र क्रियाकलापों का नाम :	
4.	कम्पनी/सहकारी समिति/साझेदारी के मामले में :	
	पंजीकरण की तारीख	
	(क) क्या नई/मौजूदा इकाई विस्ताराधीन है :	
	(ख) नई इकाई के मामले में उत्पादन शुरू करने की तारीख	
	(ग) विस्ताराधीन इकाई के मामले में विस्तार के बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तारीख	
5.	पीएमटी पंजीकरण सं. तारीख सहित भाग-2 के उद्यमी ज्ञापन की पावती सं. तारीख सहित औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन/औद्योगिक लाइसेंस सं. तथा तारीख (जहां लागू है)	
6.	सृजित रोजगार	
7.	उत्पादित की जाने वाली उत्पादन के मदें/सेवाएं क्र. मद सं.	वार्षिक संस्थापित क्षमता
	1.	मूल्य (₹ में)
	2.	
	3.	
	4.	
8.	कार्यशील पूँजी हेतु मार्जिन राशि सहित परियोजना लागत	
9.	वित्तीय संस्था/बैंक का/के नाम	
10.	वित्त के साधन (₹ में)	
	क. प्रवर्तक का अंशदान/इक्विटी	
	ख. बैंक/वित्तीयश संस्था के ऋण	

ग.	गैर-जमानती ऋण	:	
घ.	सरकारी इक्विटी / मार्जिन राशि	:	
11.	अचल पूंजी निवेश का विवरण (₹ में) नई इकाई विस्ताराधीन मौजूदा इकाई		
	के लिए (किया गया वास्तविक निवेश)		
		विस्तार पूर्व	विस्तार के बाद
क	भूमि		
ख	भवन		
ग	संयंत्र एवं मशीनरी		
घ	विद्युत संरथापना		
ङ	प्रचालन पूर्व प्रारम्भिक व्यय के लिए पूंजी दिया जाना		
च	अन्य विविध अचल परिस्मृतियां		
	कुल		
12.	सिफारिश		
(i)	केन्द्रीय पूंजी निवेश राज सहायता (₹):		

एसएलसी/डीएलसी के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर

राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय समिति की दिनांक को में
हुई बैठक का निर्णय

एसएलसी/डीएलसी के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

फार्म संख्या: 17

**सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के तहत निवेश प्रोत्साहन सहायता के लिए¹
एसएलसी/डीएलसी को प्रस्तुत किये जाने वाला प्रोफार्मा**

1. आवेदक इकाई का नाम और पता :
2. इकाई का क्रियाकलाप :
3. औद्योगिक इकाई का स्थान :
4. यदि कम्पनी/सहकारी समिति/साझेदार है तो :
पंजीकरण की तारीख
(क) क्या नई/मौजूदा विस्तार वाली इकाई है :
(ख) यदि नई इकाई है तो उत्पादन शुरू करने की तारीख
(ग) यदि विस्तार वाली इकाई है तो विस्तार : पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तारीख
5. पीएमटी पंजीकरण सं. तारीख सहित भाग–2 के उद्यमी ज्ञापन की पावती सं. तारीख सहित औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन की पावती/औद्योगिक लाइसेंस सं. तथा तारीख (जहां लागू है)
6. सृजित रोजगार :
7. उत्पादन मदें/सेवायें :
8. उस वित्तीय संस्था/बैंक का नाम जिससे इकाई ने वित्तीय सहायता ली है :
9. वित्त के साधन (₹ में)
(क) प्रवर्तक अंशदान/इक्विटी :
(ख) बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण :
(ग) गैर–जमानती ऋण :
(घ) सरकारी इक्विटी/मार्जिन राशि :
10. कुल अचल पूँजी निवेश (₹) :
11. भवन निर्माण/सिविल निर्माण में निवेश :
12. संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश (₹)
(क) नई इकाई के लिए :
(ख) मौजूदा विस्ताराधीन इकाई के लिए :
13. अन्य अचल परिस्पत्तियों/उपस्करों में निवेश (₹) :
14. निवेश प्रोत्साहन सहायता के तहत :
एसएलसी/डीएलसी द्वारा अनुमोदित तथा संवितरण

हेतु सिफारिश की गई कुल राशि (₹)

15. निवेश प्रोत्साहन सहायता—2015 के तहत :
एसएलसी/डीएलसी की बैठक की तारीख
16. बैंकर का नाम, पता और इकाई का खाता संख्या :

एसएलसी/डीएलसी के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर

फार्म संख्या: 18

करार (Agreement)

प्रथम भाग..... सरकार की ओर से उद्योग निदेशक,
अथवा उनके नामिती (इसके बाद इसे राज्य सरकार कहा गया है)।

द्वितीय भाग के..... को विनिर्माण/सेवाएं प्रदान करने के लिए..
..... में स्थित पंजीकरण संख्या..... दिनांक.....
फर्म पंजीकरण सं..... दिनांक..... ईएम भाग-2/आईईएम पावती सं....
..... दिनांक..... वाले कम्पनी अधिनियम के तहत पंजीकृत मैसर्स.....
..... की भागीदारी फर्म/सहकारी समिति/स्वामित्व
प्रतिष्ठान/सम्बन्धित कम्पनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री/श्रीमती.....
.....पुत्र/पुत्री/पत्नी..... के बीच..... दिन.....
तारीख को करार कियागया है।

जबकि

1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2015 के तहत अनुदान एवं वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए इकाई ने राज्य सरकार को एक आवेदन किया है।
2. इस दावे की जांच एवं छानबीन के बाद राज्य स्तरीय समिति के सदस्य सचिव संतुष्ट हैं तथा इस इकाई के दावे को..... हुई अपनी बैठक में एसएलसी/डीएलसी के समक्ष प्रस्तुत किया। एसएलसी/डीएलसी ने निवेश प्रोत्साहन सहायता के दावे का अनुमोदन किया तथा राज्य सरकार द्वारा नामित संवितरण विभाग से..... (₹.....) केवल की राशि के संवितरण की सिफारिश की है।
3. इकाई के द्वारा भारतीय संविदा संअधिनियम, 1872 की धारा 124 अध्याय VIII क्षतिपूर्ति एवं गारंटी तथा इस अधिनियम की धारा 126 के तहत इस अधिनियम की उक्त धारा में विनिर्दिष्ट मामले में..... राज्य सरकार के साथ एक करार करना अपेक्षित है।

अब एतद्वारा निम्नानुसार करार एवं घोषणा की जाती है:

1. इस इकाई को संवितरण के लिए नामित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के निदेशक/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा यह राज सहायता प्रदान की जाएगी।
2. यह इकाई अन्य सभी प्रभार, जो पंजीकरण के प्रयोजनार्थ आवश्यक है, वहन करेगी।
3. राज्य सरकार इस इकाई को इसके आगे निर्धारित शर्त पर यह राज सहायता राशि प्रदान करने के लिए सलाह देगी, अर्थात्

4. (क) कि यह इकाई उसके उत्तराधिकारी तथा नियुक्त की गई इकाईयां इस योजना की शर्तों का पालन करेगी।
- (ख) यदि राज्य सरकार/वित्तीय संस्था/सम्बन्धित बैंक बाद में इस बात से संतुष्ट होता है कि इस इकाई को प्रदान की गई राज सहायता आवश्यक तथ्य के तौर पर गलत सूचना के जरिए प्रदपान की गई है अथवा वह इकाई वाणिज्यिक उत्पादन के शुरू करने के बाद 5 (पांच) वर्ष के भीतर उत्पादन कार्य बन्द कर देती है, तो राज्य सरकार/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र उस इकाई को सुनवाई के लिए उचित अवसर प्रदान करने के बाद सार्वजनिक निधि की सुरक्षा हेतु इस राशि को वापस करने के लिए कहेगी।
- (ग) यह इकाई निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग/वित्तीय संस्था/सम्बन्धित बैंक से पूर्वानुमति लिए बिना इस इकाई अथवा इसके किसी भाग का स्थान परिवर्तन नहीं करेगी अथवा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद 5 वर्ष की अवधि में इसके कुल निर्धारित पूंजीगत निवेश के किसी महत्वपूर्ण भाग जिस पर राज सहायता प्रदान की गई है, को ज्यादा कम नहीं करेगी अथवा उसका निपटान नहीं करेगी।
- (घ) यह इकाई उत्पादन शुरू करने के बाद निरन्तर पांच वर्ष की अवधि के लिए अपने कार्य के बारे में प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित राज्य सरकार को अपनी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
- (घ) यदि इकाई इसमें से किसी भी नियम की अवहेलना करती है, तो राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त होगा कि वह इस वितरित राज सहायता की राशि को वापस करने के लिए कहेगी तथा उसके बाद अनुमोदित एवं संवितरित अनुदान अथवा राज सहायता राशि निर्थक अथवा प्रभावहीन हो जाएगी तथा इस इकाई के राज सहायता राशि से सम्बन्धित सभी अधिकार तुरन्त समाप्त हो जाएँगे।
- (च) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के द्वारा वितरित तथा एसएलसी/डीएलसी के द्वारा दिनांक.....को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित और इस दिन.....तारीख को किए गए करार के अनुसार(₹) राज सहायता राशि के परिणामस्वरूप उत्पन्न किसी भी विवाद अथवा दावे के सम्बन्ध में केवल.....राज्य के न्यायालयों के पास इसका न्यायाधिकार होगा।
5. करार के प्रस्तर-4(क) से (च) का उल्लंघन होने पर उपादान सहायता की वसूली एक मुश्त भूराजस्व के सादृश्य ऋण हेतु निर्धारित प्राथमिक ब्याज दरों के आधार करने के लिए प्रथम पक्ष अधिकृत हो जायेगा।
- इसकी गवाही में पक्षकारों को उनके हस्ताक्षरों के सामने उल्लिखित सम्बन्धित तारीखों को इस करार पर हस्ताक्षर करने होंगे।

इकाई के प्राधिकारी हस्ताक्षर

कम्पनी / फर्म की तारीख एवं मोहर

.....

गवाहः

नाम पिता का नाम सहित पता

1.

2.

राज्य सरकार की ओर.....

महाप्रबन्धक, जि.उ.के.,.....

तारीख एवं मोहर

हस्ताक्षर

फार्म संख्या: 19

इस इकाई के द्वारा जिला उद्योग केन्द्र को दो प्रतियों में प्रस्तुत की जाने वाले वार्षिक प्रगति रिपोर्ट

(प्रत्येक वर्ष, 20 अप्रैल से पहले एक प्रति जिला उद्योग केन्द्र को तथा दूसरी प्रति उद्योग निदेशालय को भेजी जानी चाहिए)

1.	इकाई का नाम और पता, दूरभाष सं., ई-मेल पता, वेबसाईट दिए	:	
2.	ईएम भाग-2 की पंजीकरण संख्या/पावती संख्या / आईईएम की पावती संख्या तथा तारीख	:	
3.	वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तारीख	:	
4.	यह विवरणी नामतः (i) निवेश प्रोत्साहन सहायता प्रस्तुत करने की तारीख तक एचपीएसआईडीसी / एसआईडीसीयूएल से प्राप्त राशि	:	
5.	क्या नई/विस्तार इकाई है	:	
6.	इस इकाई की उत्पादन मर्दें	:	
7.	इस इकाई में सृजित रोजगार क. राज सहायता लेने से पहले ख. राज सहायता लेने के बाद	:	
8.	क्या राज सहायता प्राप्त करने के बाद इकाई के द्वारा कोई विस्तार कार्यक्रम किया गया है	:	
9.	क्या नई इकाई ने अतिरिक्त अचल परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए इस राज सहायता राशि का पूर्ण उपयोग कर लिया है अथवा इस निधि को कार्यशील पूँजी में उपयाग कर रही है, कृपया बताएं	:	
10.	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान मात्रा तथा मूल्य के सहित तैयार उत्पाद की बिक्री	:	

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
तारीख और मोहर

जिला उद्योग केन्द्र,

मैसर्स.....

पता.....

.....

विषय: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2015 के तहत वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अनुदान सहायता के लिए पंजीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र दिनांक के आधार पर आपकी इकाई मैसर्स

..... को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2015 के तहत वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अनुदान सहायता के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार पंजीकृत किया जाता है:-

पंजीकरण संख्या: /20...-..... दिनांक:

इकाई का नाम व पता:

इकाई का संविधान:-

निदेशक/साझेदार/इकाई स्वामी का नाम व दूरभाष सं.:

उत्पाद/सेवा क्रियाकलाप:

कुल पूँजी निवेश (सम्भावित): (लाख ₹ में)

नियम एवं शर्तेः-

1. उक्त पंजीकरण संख्या नीति में प्रदत्त सभी वित्तीय प्रोत्साहनों अनुदान सहायता से सम्बन्धित प्रत्येक दावे के आवेदन-पत्र में अंकित करना आवश्यक होगा।
2. इकाई के उत्पादन में आने/गतिविधि प्रारम्भ करने के पश्चात ई.एम. भाग-2 फाइल कर उसकी अभिस्थीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
3. नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों/अनुदान/प्रतिपूर्ति सहायता के लिए योजना से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों में दी गई समय सारिणी के अन्तर्गत अपने जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में दावा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. दावे की स्थीकृति के सन्दर्भ में जिला/राज्य स्तरीय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
5. योजना की विस्तृत जानकारी तथा नियम व शर्तों हेतु विभागीय website: www.doiuk.org पर लॉग इन कर सकते हैं।

महाप्रबन्धक

जिला उद्योग केन्द्र,

.....

ब्याज प्रोत्साहन सहायता हेतु आवेदन—पत्र
 (वित्त पोषक बैंक / वित्तीय संस्था द्वारा भरा जायेगा)

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
 जिला उद्योग केन्द्र।

महोदय,

मैं^० को ब्याज उपादान

अनुमन्य कराये जाने विषयक आपके पत्र सं..... दिनांक..... के क्रम में
 अवगत कराना है, कि इकाई को..... उद्योग स्थापनार्थ वितरित प्रोत्साहन सहायता का दावा निम्नलिखित
 विवरण के अनुसार प्रस्तुत है:-

1. बैंक / वित्तीय संस्था द्वारा वितरित ऋण की धनराशि
 (क) सावधि ऋण
 (ख) कार्यशील पूँजी ऋण
 योग
2. ऋण स्वीकृत करने का दिनांक
3. ऋण वितरित करने का दिनांक
4. ब्याज की दर
 (क) सावधि ऋण
 (ख) कार्यशील पूँजी ऋण
5. ऋण / ब्याज की वापसी का कार्यक्रम
6. ऋण / ब्याज की वापसी कार्यक्रम के अनुसार ऋण / ब्याज
 अदायगी की स्थिति
7. इकाई का खाता संख्या
8. देयक का विवरण

दिनांक..... से तक (छ: माही आधार पर)

ऋण धनराशि			ब्याज की धनराशि			उद्यमी द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि	ब्याज प्रोत्साहन सहायता की धनराशि ६ प्रतिशत की दर से
विवरण	मूल वितरित धनराशि	बकाया	अवधि	दर	धनराशि		
सावधि ऋण							
कार्यशील पूँजी							
योग							
9.	इकाई की अवस्थिति : ए, बी, बी+ व सी श्रेणी के जनपद					:	

उक्त देयक के अनुसार दिनांक..... से दिनांक..... तक आगणित ब्याज पर व्यय उपादन
 की धनराशि रु. (रु.) का भुगतान करने का काट करें।

‘प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत विवरण बैंक रिकार्ड से मिलान के पश्चात् जारी किया गया
 ऋणी इकाई किसी प्रकार की चूककर्ता नहीं है तथा इकाई अपनी देनदारी यथा समय देती आ रही है तथा यह
 प्रमाणित किया जाता है कि ब्याज उपादान दावा केवल मूल ब्याज दर के विरुद्ध ही अंकित किया गया है व
 विलम्ब शुल्क, शास्ति या अन्य कोई अतिरिक्त देय सम्मिलित नहीं है।’

इकाई का उक्त अवधि का एकाउन्ट स्टेटमेंट संलग्न किया जा रहा है।

हस्ताक्षर शाखा प्रबन्धक

ऋण स्वीकृतकर्ता बैंक अधिकारी का नाम

हस्ताक्षर

वित्त पोषक बैंक की मुहर

ब्याज प्रोत्साहन सहायता हेतु आवेदन–पत्र (इकाई द्वारा स्वयं भरा जायेगा)

1. इकाई का नाम :
 (क) इकाई की कार्यशाला का पता (दूरभाष सहित) :
 (ख) इकाई की कार्यालय का पता (दूरभाष सहित) :
 (ग) इकाई की अवस्थिति–सामान्य क्षेत्र/दूरस्थ क्षेत्र :
2. सूक्ष्म/लघु/मध्यम उद्यम के अन्तर्गत फाईल उद्यमी ज्ञापन भाग–2 :
 संख्या व दिनांक :
3. इकाई का संगठन–एकल/साझेदारी/कम्पनी :
4. इकाई के स्वामी/साझेदार/निदेशकों के नाम पते :
5. आवेदक का नाम व पता :
6. उत्पादित वस्तु/वस्तुओं का नाम एवं उत्पादन क्षमता :
7. कार्यशाला भवन पूर्ण होने का दिनांक/वैद्य किरायेदारी का दिनांक :
8. विद्युत मीटर सीलिंग का दिनांक :
9. प्रथम ऋण वितरण की तिथि :
10. प्रथम कच्चा माल क्रय करने का दिनांक :
11. प्लांट मशीनरी हेतु निश्चित आदेश दिये जाने का दिनांक :
12. परियोजना की लागत (इकाई की विस्तृत परियोजना संलग्न है)
 (क) भूमि :
 (ख) भवन/कार्यशाला :
 (ग) मशीनरी एवं उपकरण :
 (घ) कार्यशील पूँजी :
 (ड) रोजगार– उत्तराखण्ड के तथा उत्तराखण्ड से बाहर
13. योजना की वित्तीय व्यवस्था :
 (क) उद्यमी का अंशदान :
 (ख) बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण
 1. सावधि ऋण :
 2. कार्यशील पूँजी ऋण :
14. बैंक/वित्तीय संस्था का नाम :
 (जहां से ऋण स्वीकृत/वितरित किया गया हो)
15. स्वीकृत/वितरित ऋण :
 क्र. ऋण का प्रकार स्वीकृत ऋण स्वीकृति का वितरित ऋण वितरित ऋण वितरित ऋण पर
 सं. की धनराशि दिनांक की धनराशि का दिनांक व्याज की दर
 1. सावधि ऋण :
 2. कार्यशील पूँजी
 योग
16. अन्य विवरण :
 .

प्रो./साझेदार/निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरी का नाम
हस्ताक्षर
इकाई की मुहर सहित

विनिर्माणक / उत्पादक उद्यमों को स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री पर देय मूल्यवर्धित कर (VAT) के प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन–पत्र

प्रेषक,

.....
.....
.....

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,

.....

विषय: नए उद्यमों को स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री पर देय मूल्य वर्धित कर (VAT) की प्रतिपूर्ति हेतु।

महोदय,

हमारी इकाई मैं जो सूक्ष्म, लघु/मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 के अध्याय-3 धारा-7 में दी गई परिभाषा के अन्तर्गत सूक्ष्म/लघु/मध्यम उद्यम के रूप में योजनान्तर्गत पंजीकृत है तथा इकाई का पंजीकरण संख्या दिनांक है। इकाई के त्रैमासिक षटमासिक/वार्षिक (अवधि) दिनांक से दिनांक तक जमा कर राशि रु. की प्रतिपूर्ति हेतु निम्नवत् सूचना प्रस्तुत है।

क्र. सं.	कब से कब तक (दिनांक)	त्रैमासिक/ षटमासिक/ वार्षिक कुल बिक्री धन	त्रैमासिक/ षटमासिक/ वार्षिक कर योग्य बिक्री धन	त्रैमासिक/ षटमासिक/ वार्षिक जमा कर धन	चालान संख्या व दिनांक कोषागार का नाम	उपादान की राशि 75/90 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
.....
.....
.....
.....
.....
योग						

उपरोक्त आंकड़ों के सत्यापन हेतु वाणिज्य कर विभाग का प्रमाण पत्र संलग्न है। कृपया रु. की धनराशि की प्रतिपूर्ति इकाई को करने का कष्ट करें।

भवदीय,

इकाई के स्वामी/साझेदार
निदेशक के हस्ताक्षर।

प्रेषक,

सेवा में,

महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र,

विषयः

निवेदन है कि हमारी इकाई मै., जो सूक्ष्म, लघु/मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 के अध्याय-3 धारा-7 में दी गई परिभाषा के अन्तर्गत सूक्ष्म/लघु/मध्यम उद्यम के रूप में उद्योग निदेशालय/जिला उद्योग केन्द्र में योजनान्तर्गत पंजीकृत है तथा हमारी इकाई उत्तराखण्ड शासन द्वारा लागू एम.एस.एम.ई. नीति-2015 के अन्तर्गत नए उद्यमों को विद्युत बिलों में प्रतिपूर्ति सहायता योजना के लिए पात्र है। योजना में निहित प्राविधानों के अनुरूप हम अपनी इकाई के लिए माह से माह तक कुल रु. के प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन पत्र प्रेषित कर रहे हैं। आवेदन पत्र के साथ बिल/भुगतान रसीद की फोटो प्रति संलग्न है।

इकाई के स्वामी / साझेदार /
निदेशक के हस्ताक्षर

विशेष राज्य परिवहन उपादान योजनान्तर्गत सहायता हेतु आवेदन—पत्र

प्रेषक,

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,

विषय: नए उद्यमों को विशेष राज्य परिवहन उपादान योजनान्तर्गत सहायता।
महोदय,

हमारी इकाई मैं जो सूक्ष्म, लघु/मध्यम उद्यम के रूप में उद्योग निदेशालय/जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकृत है। विशेष राज्य परिवहन उपादान योजनान्तर्गत पंजीकृत संख्या दिनांक द्वारा पंजीकृत किया गया है तथा इकाई का वार्षिक टर्नओवर निम्नवत् है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1. इकाई की वर्ष में कुल बिक्री रु.
2. इकाई द्वारा उपरोक्त क्र.स. (1) के विरुद्ध वर्ष में देय कर रु.
3. इकाई द्वारा उपरोक्त क्र.स. (1) के विरुद्ध वर्ष में जमा कर रु.
4. इकाई द्वारा वरिवहन भाड़े में किया गया वार्तविक व्यय रु.

कृपया उपरोक्तानुसार रु. की धनराशि की प्रतिपूर्ति इकाई को भुगतान करने का कष्ट करें।

संलग्नक- (1) वाणिज्य कर विभाग का प्रमाण—पत्र।
(2) सी.ए. की वार्षिक टर्नओवर रिपोर्ट
(3) सी.ए. का परिवहन भाड़े पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में सत्यापन प्रमाण—पत्र।

भवदीय,

इकाई के स्वामी/साझेदार
निदेशक के हस्ताक्षर।

विशेष राज्य परिवहन उपादान योजनान्तर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन—पत्र

1. इकाई का नाम व पता
2. इकाई के स्वामी/साझेदार/निदेशकों का नाम व पता
3. सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा बृहत उद्यम का ई.एम. पार्ट-2 फाईल करने की अभिस्वीकृति संख्या एवं दिनांक
4. उद्यम की प्रकृति
5. उद्यम में उत्पादन कार्य करने की तिथि
6. उद्यम में पूँजी निवेश
 - (क) भूमि
 - (ख) भवन
 - (ग) प्लांट व मशीनरी
7. उत्पादन क्षमता (प्रतिवर्ष)
8. उत्पादन हेतु परिवहन कच्चा माल एवं तैयार माल का विवरण।

(अ)	कच्चा माल का नाम	मात्रा	परिवहन भाड़ा	परिवहन के जी.आर. संख्या व भुगतान	कच्चा माल विक्रेता का नाम
(ब)	तैयार माल का नाम	मात्रा	परिवहन भाड़ा	रसीद संख्या व दिनांक	तैयार माल के क्रेता का नाम

आवेदक के हस्ताक्षर
मुहर सहित

शपथ पत्र

मैं, शपथपूर्वक यह बयान करता हूं कि आवेदन पत्र में दिये गये तथ्य एवं सूचनायें सही हैं तथा कोई भी तथ्य/सूचना ऐसी नहीं है जिनका प्रकटन आवेदन पत्र में न किया गया हो।

आवेदक के हस्ताक्षर

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2015 के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन फार्म

1. क औद्योगिक इकाई का नाम व स्थान
 - (i) गांव/पुलिस स्टेशन
 - (ii) जिला

ख दूरभाष संख्या सहित पूरा पता
 - (i) दूरभाष सं. सहित फैक्ट्री
 - (ii) दूरभाष सं. सहित पंजीकृत कार्यालय
2. क इकाई का गठन (कृपया स्पष्ट करें कि क्या मालिकाना/साझेदारी/प्राईवेट लिमिटेड/लिमिटेड कम्पनी/सहकारी समिति हैं)
ख मालिकों/साझेदारों/निदेशक मण्डल के निदेशकों/सहकारी समिति के सचिव और अध्यक्ष के नाम (यदि आवश्यकता हो तो अलग से पृष्ठ संलग्न करें।)
3. इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की प्रस्तावित तिथि
4. औद्योगिक इकाई विनिर्माण क्षेत्र के तहत आती है अथवा सेवा क्षेत्र के तहत
5. सम्बन्धित विभाग में पंजीकरण का ब्यौरा
क यदि विनिर्माण क्षेत्र है, तो कृपया निम्नलिखित को दर्शायें
 - i एमएसएमई की पावती सं./उद्यमी ज्ञापन (ईएम) की तिथि भाग-1 (यदि काई हो)
 - ii औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की पावती सं./औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) की तिथि (यदि कोई हो)
 - iii केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण को विधिवत प्राप्त स्वीकार गई पत्र की प्रति

ख यदि सेवा क्षेत्र है तो कृपया सम्बन्धित विभाग से अपेक्षित पंजीकरण/लाइसेंस सं. (यदि कोई हो) बताएं
6. प्रस्तावित अचल पूँजी निवेश का विवरण/ब्यौरा (राशि ₹ में)
क भूमि
ख स्थल विकास
ग भवन
 - (i) फैक्ट्री भवन

- (ii) कार्यालय भवन
- घ संयंत्र एवं मशीनरी/मदें/संघटक
 ड इलैक्ट्रिकल संस्थापन
 च प्रारम्भिक एवं प्रचालन पूर्व खर्च
 छ विविध अचल परिसम्पत्तियां
 कुल
7. विद्युत/बिजली की प्रस्तावित आवश्यकता (किलो वाट/मैगा वाट)
8. प्रस्तावित वार्षिक उत्पादन क्षमता—मात्रा—रूपये में मूल्य उत्पाद (उत्पादों)/दी गई सेवा का नाम
 (i)
 (ii) ..आदि
9. कच्चा माल
 इस्तेमाल किये गये कच्चे माल का नाम
 (i)
 (ii)
10. इकाई में विभिन्न कार्य क्षेत्रों में प्रस्तावित रोजगार सृजन
 क प्रबन्धकीय
 ख पर्यवेक्षी स्टाफ
 ग कुशल कामगार
 घ अर्ध कुशल कामगार
 ड अकुशल कामगार
 च अन्य
11. घोषणा
 मैं/हम.....सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं/करती हूं/करते हैं कि इस आवेदन में दी गई सूचना मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य हैं।

स्थान:

तिथि:

हस्ताक्षर
 आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का
 पूरा नाम (मोहर)

जांच रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से दिनांक
.....को मैसर्स का दौरा किया तथा
पंजीकरण हेतु इस आवेदन से सम्बन्धित मूल दस्तावेजों की जांच की है और उन्हें सही
पाया है।

इसके अलावा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उत्पादित मद सूक्ष्म,
लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2015 की अधिसूचना में परिभाषित निषेध सूची के अन्तर्गत
नहीं आती है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2015 के तहत पंजीकरण प्रदान करने
के लिए संस्तुत।

तिथि:

स्थान:

जांच अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम

केवल जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) के कार्यालय के प्रयोग के लिए

मैसर्स के आवेदन की
अनुलग्नकों सहित जांच की गई है तथा इसे सही पाया गया है। उत्पादित मद हिमाचल
प्रदेश और उत्तराखण्ड के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2015 की अधिसूचना
में परिभाषित निषेध सूची के अन्तर्गत नहीं आती है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2015 के तहत पंजीकरण प्रदान करने
हेतु संस्तुत।

तिथि:

स्थान:

सम्बन्धित अधिकारी के
हस्ताक्षर
पदनाम/कार्यालय मोहर

जांच सूची

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन फार्म के साथ नई इकाईयों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों की प्रमाणित / सत्यापित प्रतिलिपियां।

1. इकाई का गठन/प्रकार
 - (क) प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के मामले में
 - i कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण–पत्र
 - ii संस्था के अंतर्नियम अथवा बहिर्नियम
 - iii निदेशकों के नाम व पते, उनकी पैन संख्या सहित
 - (ख) साझेदारी फर्म के मामले में
 - i साझेदारी विलेख
 - ii साझेदारों के नाम व पते, उनकी पैन संख्या सहित
 - iii सामान्य पावर ऑफ अटर्नी
 - (ग) सहकारी समिति के मामले में
 - i पंजीकरण प्रमाण–पत्र
 - ii संस्था के अंतर्नियम अथवा बहिर्नियम
 - iii इकाई के पंजीकरण के लिए आम सभा की बैठक का संकल्प
2. पंजीकरण सं.
 - i ईएम भाग–1
 - ii भाग–2/आईएम/एलओआई/आईएल (यदि कोई हो)
3. स्थानीय निकाय/किसी अन्य प्राधिकरण (उदाहरण के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि) से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण–पत्र।
4. बैंक/सम्बन्धित वित्तीय संस्था से मीयादी ऋण/कार्यशील पूँजी ऋण, यदि कोई हो, का मंजूरी–पत्र।
5. सम्बन्धित विभाग से यथा लागू अनिवार्य/बाध्यकारी पंजीकरण/अनुमोदन प्रमाण–पत्र (सेवा क्षेत्र की इकाईयों के मामले में)।
6. भूमि/भवन के स्वामित्व प्रमाण–पत्र, खसरा खतौनी, विक्रय–पत्र विलेख, किरायानामा/लीज–डीड की प्रति तथा भू–उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रति (यदि भूमि/भवन पहले से अर्जित हो)।
7. भवन निर्माण मानचित्र की स्वीकृति/अनुमोदन पत्र की प्रति।
8. राज्य सरकार/उद्योग निदेशालय के निदेशानुसार अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज।